18/3/26

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
क्रमांक 448
दिनांक 23 MAR 2026
रायपुर (शहर)

प्रति

श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी

कार्या - उपभोक्ता फोरम सी/S

पावर वितरण कंम्पनी - रायपुर गुढियारी

विषय - घरेलू कनेक्शन मे विवाद का निराकरण बाबत महोदय जी

निवेदन है कि मैं संतराम

पिता मयाराम सा० - [illegible] - पो० कौड

ह० मोहल्ला जिला [illegible] का मूल निवासी हूँ उपरोक्तानुसार मेरे घर को कनेक्शन दो वर्ष - 2023 के मीटर उखाड़कर विद्युत अधिकारीगण ले गये तथा मीटर का कोई मूल्यांकन भी नही बताए गए है तथा अब मार्च - 2026 को पुनः नोटिस लागिल किया गया है अतः विद्युत अधिकारीगण को संतोष जनक जवाब रखने पर कोई सुनवाई नही करते है, अतः आप कार्यालय के नियमानुसार जांच कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

Forwarded to Chairperson RJR.

आवेदक

संतराम

/2026

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, (रायपुर शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / सामा. / 2026 / 471 रायपुर, दिनांक 24 MAR 2026

प्रति,

अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव
कार्या0 कार्यपालक निदेशक (राजनांदगांव क्षेत्र),
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., पारींनाला, राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– आवेदक श्री संतराम पिता मयाराम, सा0 जबकसा, पोस्ट काडे, तहसील मोहला, जिला मोहला मानपुर चौकी (छ.ग.) के संबंध में ।

संदर्भ :– आवेदक की शिकायत पत्र फोरम में प्राप्ति दिनांक 23.03.2026.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक श्री संतराम पिता मयाराम, सा0 जबकसा, पोस्ट काडे, तहसील मोहला, जिला मोहला मानपुर चौकी (छ.ग.) के द्वारा शिकायत पत्र रायपुर फोरम में प्रेषित किया गया है । चूँकि उक्त शिकायत आपके क्षेत्र के अंतर्गत है ।

अतः मूल शिकायत आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नः– मूल शिकायत पत्र।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर

प्रतिलिपिः– श्री संतराम पिता मयाराम, सा0 जबकसा, पोस्ट काडे, तहसील मोहला, जिला मोहला मानपुर चौकी (छ.ग.) को सूचनार्थ, कृपया आवेदक, राजनांदगांव फोरम में संपर्क करें ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441

क्रमाक 13-01/वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव /30 राजनांदगॉव दिनॉक : 25 /03/2026

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., मोहला।

विषय : आवेदक श्री संतराम पिता मयाराम, सा. जबकसा, पोस्ट काडे, तहसील मोहला एवं जिला मोहला मानपुर चौकी (छ.ग.) के संबंध में।

संदर्भ : अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर का पत्र क्रमांक 471 दिनांक 24.03.2026.

'-0-'

उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत हो कि विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायत के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव क्षेत्र की स्थापना की गयी है। अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर का पत्र क्रमांक 471 दिनांक 24.03.2026 द्वारा आपके संभाग से संबंधित शिकायत पत्र इस फोरम में प्रेषित की गई है। संबंधित शिकायत पत्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक श्री संतराम पिता मयाराम, सा. जबकसा, पोस्ट काडे, तहसील मोहला एवं जिला मोहला मानपुर चौकी (छ.ग.) के घरेलु कनेक्शन के विवाद (मीटर संबंधी) का शीघ्र निराकरण कर उपभोक्ता को सूचित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को लिखित में अवगत करावें।

संलग्न : 1 नग शिकायत एवं दस्तावेज।

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्टीब्युशन कंपनी लिमिटेड मोहला

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

छ.रा.वि.मंडल की उत्तरदायी कंपनी

क./कार्य.अभि/ मोहला/ GENS-18/1666/2026- दिनांक-05.06.2026

प्रति ,

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव।

विषय :- आवेदक श्री संतराम पिता मयाराम ग्राम- जबकसा , पोस्ट- कांडे, तहसील मोहला, जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी के घरेलु कनेक्शन के विवाद निराकरण प्रतिवेदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संतराम पिता मयाराम ग्राम- जबकसा , पोस्ट- कांडे, तहसील मोहला, जिला-मोहला मानपुर अं. चौकी, बीपी. क्रं. 1002123166 घरेलु निष्क्रय कनेक्शन का विवाद का निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार है -

(1) उपभोक्ता श्री संतराम पिता -मयाराम सा. -जबकसा, पोस्ट कांडे, तह.- मोहला, जिला - मोहला मानपुर अं.चौकी का बी.पी.क्र. 1002123166, प्रयोजन - घरेलू, विद्युत भार 40 वॉट विद्युत कनेक्शन का विद्युत देयक 17074.68/- रू. जारी किया गया था।

(2) उपभोक्ता श्री संतराम द्वारा नियमित विद्युत देयक बिल का भुगतान नहीं किये जाने के कारण से उनके परिसर के मीटर का लाईन अस्थाई रूप से माह नवम्बर 2023 मे विच्छेदन किया गया था, विच्छेदन के पूर्व उपभोक्ता का बकाया राशि 4153/- रू. था, एवं मीटर मे अंतिम रीडिंग 3390 था।

(3) अस्थाई लाईन विच्छेदन के पश्चात भी उपभोक्ता के द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर माह अगस्त 2024 में स्थाई रूप से लाईन विच्छेदन किया गया ।

(4) सहायक अभियंता उपसंभाग मोहला के द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में जाचं प्रतिवेदन के अनुसार अस्थाई लाईन विच्छेदन नवम्बर 2023 एवं स्थाई लाईन विच्छेदन अगस्त 2024 में किया गया है। तथा दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024 तक त्रुटिपूर्ण कोड 13 (बंद खराब मीटर कोड) अंकित होने के कारण 252 युनिट का प्रतिमाह औसत बिल जारी रहा है। जिसके कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल 17075 रू. का जारी हुआ है।

(5) उपभोक्ता को जारी त्रुटिपूर्ण बिल कुल राशि 17074.68/-रू. को सुधार करने के पश्चात उपभोक्ता को राशि 4942.24/- रू. जारी किया जाना है। शेष राशि 12132/- रू. को सी.सी.बी के माध्यम से समायोजन करने की आवश्यकता है। गणना पत्रक संलग्न है।

(6) उपभोक्ता के विद्युत देयक बिल की अंतर राशि 12132.44/- रू. को सी.सी.बी. के माध्यम से क्रेडिट दिया जाने हेतु अधीक्षक अभियंता (वृत्त) राजनांदगांव को कार्यालयीन टीप क्रं. 347 दिनांक 18.05.2026 प्रेषित की गई है।

उपरोक्त उपभोक्ता के बिल में त्रुटिपूर्ण देयक 12132/- रू. का सी.सी.बी. के माध्यम से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात उपभोक्ता को 4942/- रू. का बिल सुधार कर प्रेषित की जावेगी जिससे उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन एवं बिल संबंधी विवाद का निराकरण हो जावेगा।

अतः उपरोक्तानुसार निराकरण कार्यवाही प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

Digitally signed by
Anil Kumar Ramteke
Date: 05-06-2026
17:47:28

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
छ0स्टे0पॉ0डिस्ट्री0कं0लिमि0मोहला

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विउशिनिफोराज. / 2026 / 52 राजनांदगांव दिनांक 12 JUN 2026

प्रति,

01. संतराम पिता मयाराम,
ग्राम जबकसा, पोस्ट–कांडे, तहसील मोहला,
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी।

02. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, मोहला
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., ~~डोंगरगांव~~ (छ.ग.)

विषय :– **घरेलू कनेक्शन में विवाद का निराकरण बाबत्।**

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441

विषय :-घरेलु कनेक्शन में विवाद का निराकरण बाबत्।

..... आवेदक

श्री संतराम पिता मयाराम
ग्राम-जबकसा, पोस्ट-कांडे, तहसील मोहला,
जिला- मोहला मानपुर अं. चौकी।

विरूद्ध

....उत्तरवादी

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., ~~डोंगरगांव~~ मोहला

निर्णय

(दिनांक 12/06/2026 को घोषित)

01. आवेदक श्री संतराम पिता मयाराम द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 18.03.2026 यह है कि -

(i) यह कि आवेदक संतराम पिता मयाराम ग्राम जबकसा, पोस्ट-कांडे, तहसील मोहला, जिला-मोहला मानपुर अ.चौकी का मूल निवासी हूँ। उपरोक्तानुसार मेरे घर की कनेक्शन दो वर्ष - 2023 में मीटर उखाड़कर विद्युत अधिकारी गण ले गये तथा मीटर का कोई मूल्याकंन भी नहीं बताए गए है। तथा अब मार्च-2026 को पुनः नोटिस शामिल किया गया है। अतः विद्युत अधिकारी गण को संतोष जनक जवाब रखने पर कोई सुनवाई नहीं करते है।

02. अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा.संधा.) संभाग, छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., डोंगरगाव ने अपने जवाबदावा पत्र क्र 1666/2026 दिनांक 05.06.2026 को सूचित किया है कि-आवेदक श्री संतराम पिता मयाराम द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 18.03.2026 यह :-

(i) उपभोक्ता श्री संतराम पिता मयाराम सा. जबकसा, पोस्ट-कांडे, तहसील मोहला, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी, बी.पी.क्रमांक 1002123166 , प्रयोजन-घरेलू विद्युत भार 40 वॉट विद्युत कनेक्शन का विद्युत 17074.68 रू. जारी किया गया था।

(ii) उपभोक्ता श्री संतराम द्वारा नियमित विद्युत देयक बिल का भुगतान नहीं किये जाने के कारण उनके परिसर के मीटर का लाईन अस्थाई रूप से माह नवम्बर 2023 में विच्छेदन किया गया था, विच्छेदन के पूर्व उपभोक्ता का बकाया राशि 4153/- रू. था एवं मीटर में अंतिम रीडिंग 3390 था।

(iii) अस्थाई लाईन विच्छेदन के पश्चात भी उपभोक्ता के द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर माह अगस्त 2024 में स्थाई रूप से लाईन विच्छेदन किया गया ।

(iv) सहायक अभियंता उपसंभाग मोहला के द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में जांच प्रतिवेदन के अनुसार अस्थाई लाईन नवम्बर 2023 एवं स्थाई लाईन विच्छेदन अगस्त 2024 में किया गया है। तथा दिसम्बर 2023 से जुलाई 2024 तक त्रुटिपूर्ण कोड 13 (बंद खराब मीटर कोड) अंकित होने के कारण 252 युनिट का प्रतिमाह औसत बिल जारी रहा है। जिसके कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल 17075 रू. का जारी हुआ है।

(v) उपभोक्ता को जारी त्रुटिपूर्ण बिल कुल राशि 17074.68/- रू. को सुधार करने के पश्चात उपभोक्ता को राशि 4942.24/- रू. जारी किया जाना है। शेष राशि 12132/- रू. को सी.सी.बी. के माध्यम से समायोजन करने की आवश्यकता है। गणना पत्रक संलग्न है।

(vi) उपभोक्ता के विद्युत देयक बिल की अंतर राशि 12132.44/- रू. सी.सी.बी. के माध्यम से क्रेडिट दिया जाने हेत अधीक्षण अभियंता वृत्त राजनांदगांव को कार्यलयीन टीप क्रं. 347 दिनांक 18.05.2026 प्रेषित की गई है।

03. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह कि-

अ क्या उपभोक्ता का स्थाई विद्युत विच्छेदन माह अगस्त 2024 के उपरांत भी उपभोक्ता को बिल प्रेषित किया जाता रहा है।

ब क्या उपभोक्ता को प्रेषित विद्युत बिल राशि 17075 रू. है।

स क्या त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर बिल सुधार कर समयोजन किया गया है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

यह कि फोरम के समक्ष आवेदक एवं अनावेदक दोनों के दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा अनावेदक द्वारा शिकायत के निराकरण हेतु निर्देश दिया गया। कार्यपालन अभियंता (संचा.संधा.) संभाग, छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., डोंगरगाव द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.06.2026 के माध्यम से आश्वस्त किया गया कि उपभोक्ता के बिल में त्रुटिपूर्ण देयक 12132/- रू. का सी.सी.बी. के माध्य से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात उपभोक्ता को 4942/-रू का बिल सुधार कर प्रेषित की जावेगी। जिससे उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन एवं बिल संबंधी विवाद का निराकरण हो जायेगा।

04. आवेदक के शिकायत के संबंध में अनावेदक द्वारा बिल सुधार की कार्यवाही की जावेगी । उपभोक्ता के विद्युत कनेक्श्न एवं बिल संबंधी विवाद का निराकरण शीघ्र कर दिया जायेगा। फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता शेष नहीं हैं

05. यह कि फोरम उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदक के स्थाई विद्युत विच्छेदन कार्यवाही किये जाने के उपरांत भी जो अतिरिक्त देयक उपभोक्ता को प्रेषित किया जाता रहा है उसे सुधार कर आवेदन को 15 दिनों के अंदर सही देयक प्रेषित किया जाये।

06. आदेश पारित।

07. प्रकरण निराकृत।

08. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है।

सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव